

States due to unseasonal rains. However, levy collection in U.P., A.P. and Orissa is higher this year as compared to last year.

खाद्यान्नों का आयात

1122. श्री डी०पी० यादव : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998 के अन्त तक खाद्यान्न की कुल कितनी मात्रा का आयात किया गया था;

(ख) क्या यह मात्रा पिछले वर्ष से अधिक है; और

(ग) आयातित खाद्यान्नों को क्रय करने पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) 31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष के दौरान सरकारी खाते पर केवल 14.15 लाख टन गेहूँ की मात्रा का आयात किया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) वर्ष 1998 के दौरान आयातित 14.15 लाख टन गेहूँ का सी०आई०एफ० मूल्य 939.27 करोड़ रुपये (अन्तिम) है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदों में मूल्य — वृद्धि का खुले बाजार पर प्रभाव

1123. श्री खान गुफरान जाहिदी : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में हाल में की गई वृद्धि से खुले बाजार पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग खुले बाजार में कीमतों में वृद्धि से अभी भी प्रभावित होंगे हालांकि सरकार द्वारा इन लोगों के संबंध में कीमतों में वृद्धि को वापिस ले लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो खुले बाजार में कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) से (ग) गेहूँ और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य/वसूली मूल्यों की वृद्धि को निष्क्रिय करने के प्रयोजन से सरकार

द्वारा समय-समय पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूँ और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों को संशोधित किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित की जाने वाली लेवी चीनी के खुदरा निर्गम मूल्य में मात्र 5.26% की वृद्धि हुई है जो कि “मार्जिनल” है।

दिनांक 29.1.1999 से गेहूँ और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में संशोधन होने के पश्चात खुले बाजार में गेहूँ और चावल के खुदरा मूल्यों में भारी वृद्धि होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसी प्रकार खुले बाजार में चीनी के खुदरा मूल्यों में भी वृद्धि होने की सूचना नहीं मिली है।

खुले बाजार में मूल्य, मांग और आपूर्ति, सामान्य मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति, बाजार के मौसमी उतार-चढ़ाव आदि जैसे विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करते हैं।

सरकार खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की निरंतर मानीटरिंग और समीक्षा करती है और यथावश्यकतानुसार सभी संभव उपाय किए जाते हैं।

महाराष्ट्र में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

1124. श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की संख्या कितनी है और प्रत्येक गोदाम की क्षमता कितनी है; और

(ख) क्या सरकार अगले तीन वर्षों में ऐसे कुछ और गोदाम स्थापित करने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) दिनांक 31.12.1988 को स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में भारतीय खाद्य निगम के स्वामित्वाधीन गोदामों और ऐसे प्रत्येक गोदाम की क्षमता की जानकारी विवरण में दी गई है (नीचे देखिए)।

(ख) भारतीय खाद्य निगम का शोलापुर (महाराष्ट्र) में, 15,000 टन की भंडारण क्षमता वाले एक गोदाम का निर्माण करने का प्रस्ताव है।।